राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3611/2024

घनश्याम पुत्र भंवर लाल (भँवरा राम), उम्र लगभग 38 वर्ष वर्ष, (जन्मतिथि 10-06-1985) श्रेणी- ओबीसी (नॉन क्रीमी) निवासी गांव और पोस्ट ईनाणा, पुलिस स्टेशन मुंडवा, तहसील मुंडवा, जिला नागौर (राजस्थान) पिन 341026

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री रजाक खान हैदर

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री महिपाल बिश्नोई, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>05/07/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव और पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर याचिकाकर्ता को पूरी तरह से बरी करने के बजाय संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

2. याचिकाकर्ता पर आपराधिक मामला संख्या 360/2005 में मुकदमा चलाया गया और 10.03.2006 को दिए गए फैसले में उसे आईपीसी की धारा 143, 341, 323 और 325 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

3. सुनवाई हुई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित फैसले से साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष का कोई सबूत नहीं था। उनका तर्क है कि "संदेह का लाभ" तभी दर्ज किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष का सबूत अविश्वसनीय पाया जाए। ऐसे मामलों में जहां आरोप का समर्थन करने के लिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का पूर्ण अभाव है, बरी किए जाने को स्पष्ट बरी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

5. विद्वान लोक अभियोजक इस बात पर विवाद नहीं करते कि मुकदमे के दौरान जिन अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई, उनमें से किसी ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वे अपने बयान से पलट गए थे।

6. मेरी राय है कि आरोपित निर्णय स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है। "संदेह का लाभ" देने का कानूनी सिद्धांत केवल उन परिदृश्यों में लागू होना चाहिए जहां अभियोजन पक्ष के कुछ साक्ष्य हैं, लेकिन ऐसे साक्ष्य को दोष साबित करने के लिए अविश्वसनीय या अपर्याप्त माना जाता है। इसके विपरीत, जब आरोप को पुष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पूरी तरह से कमी होती है, तो बरी को "संदेह के लाभ" के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे "साफ बरी" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष अपने सबूत के बोझ को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता एक साफ बरी होने का हकदार है।

7. इसके अलावा, दोषमुक्ति को गलत तरीके से वर्गीकृत करने से याचिकाकर्ता के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी नतीजे हो सकते हैं, जिससे यह आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है कि आरोपों में कुछ दम तो है, हालांकि वे दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त हैं। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, किसी भी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अभाव में, याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति को स्पष्ट रूप से "स्वच्छ दोषमुक्ति" के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया जाता है।

8. तदनुसार, आरोपित निर्णय को यह दर्शाने के लिए संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित न होकर एक स्वच्छ दोषमुक्ति है।

9. इन टिप्पणियों के साथ, याचिका को अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।